

बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

www.bilaspuruniversity.ac.in

क्र. ९१५ / अका. / 2018

बिलासपुर दिनांक 23/06/2018

आदेश

विश्वविद्यालय निरीक्षण समिति की अनुशंसा एवं छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर की अनुमति के आधार पर शासकीय ई.व्ही.पी.जी. महाविद्यालय, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2017-18 से नीचे उल्लेखित विषय/पाठ्यक्रम में सीट वृद्धि एवं नवीन विषय/पाठ्यक्रम की अस्थायी संबद्धता सत्र 2018-19 से विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित निम्न शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है :-

अ

क्र.	विषय/ पाठ्यक्रम	पूर्व में	वर्तमान वृद्धि	कुल सीट संख्या
01	एम.कॉम. पूर्व	80	10	90
02	एम.ए. पूर्व -हिन्दी	25	05	30
03	एम.एस.सी. पूर्व- गणित	25	05	30
01	पी.जी.डी.सी.ए.	60	10	70
02	बी.एस.सी -भाग प्रथम (कम्प्यूटर साईंस)	60	10	70

ब.

क्र.	विषय/पाठ्यक्रम (नवीन विषय)	कुल सीट संख्या
01	बी.एस.सी -भाग प्रथम (अतिरिक्त विषय-बायोटेक्नालॉजी)	20
02	डी.सी.ए.	40
03	पी.जी.डिप्लोमा इन किमिनोलॉजी	30
04	बी.सी.ए.-भाग प्रथम	30

निर्धारित शर्तें:-

- छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र क.एफ. 3-53/2017/38-1 दिनांक 03.08.2017 में निर्धारित शर्तों का पालन किया जाये।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता) विनियम-2009 एवं 2012 में उल्लेखित की गई शर्तों का पालन किया जावे।
- पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु, आवश्यक शिक्षण उपकरण पुस्तकें आदि की व्यवस्था हेतु दिये गये वचन पत्र के अनुसार शीघ्र करना सुनिश्चित करें।

Dr. J.P. Kurrey.
 20/06/18
 20-06-18

